संख्या—          /XXXIV/2004-05

प्रेषक,

अमरेन्द्र सिन्हा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
पी0एम0यू0 (ई—गवर्नेंस),
उत्तरांचल, देहरादून ।

सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग ।          देहरादून:दिनांक 30 मार्च, 2005

विषय:— वित्तीय वर्ष 2004—05 में ई—गवर्नेंस इनीसिएटिव हेतु तकनीकी सहायता परियोजना के अंतर्गत वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक योजना आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या—12023/1/05 एस आर दिनांक 11 फरवरी, 2005 के संदर्भ में यह अवगत कराया जाना है कि भारत सरकार द्वारा नेशनल ई—गवर्नेंस योजना के लिए वर्ष 2004—05 में रूपये 1.56 करोड़ की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है । अतएव मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2004—05 में अनुदान संख्या—23 के अधीन लेखाशीर्षक —4859 के अंतर्गत उत्तरांचल राज्य में आर्थिक सुधार परियोजना के तकनीकी सहायता के लिए आयोजनागत पक्ष निम्नलिखित शर्तो के अंतर्गत कुल रूपये 1.56 करोड़ (रूपये एक करोड़ छप्पन लाख मात्र) को अतिरिक्त धनराशि के रूप में आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

1—धनराशि का आहरण यथा आवश्यकतानुसार ही किया जाय ।

2—वित्तीय वर्ष 2004—05 के लिए अधिकृत धनराशि केवल परियोजना में अनुमोदित उद्देश्यों/मदों में ही व्यय की जायेगी ।

3—स्वीकृत धनराशि का समय से उपयोग करने के लिए यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि धनराशि को नियमानुसार तत्काल अवमुक्त कर पी0एम0यू0 के नियमों के अनुसार व्यय किया जाय तथा व्यय की सूचना बी0एम0—13 पर शासन को उपलब्ध कराया जाय ।

4—समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार वित्तीय एवं भौतिक पूर्तियां सुनिश्चित कर लेखों का मिलान महालेखाकार, उत्तरांचल से किया जायेगा ।

5—स्वीकृत धनराशि में व्यय के पश्चात धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु विश्वबैंक को प्रतिपूर्ति दावा समय—समय पर भेजना सुनिश्चित किया जाय और अविलम्ब प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करके उसकी सूचना शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।

6—पी0एम0यू0 के नियमों के अनुसार वित्तीय लेखों का आडिट भी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात तुरन्त करा लिया जाय ।

7—व्यय के मानक मदों की स्थिति का अनुमोदन समय—समय पर कार्यकारिणी तथा वित्त समिति के अनुमोदन से ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा । और उक्त समिति के निर्णय से शासन एवं वित्त विभाग को भी अवगत कराया जायेगा ।

8—धनराशि का आहरण वरिष्ठ वित्त अधिकारी (इरला चैक), उत्तरांचल शासन तथा सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी के प्रतिहस्ताक्षर के पश्चात किया जायेगा । आहरण के पश्चात उक्त धनराशि पी0एम0यू0 के बैंक खाते में डाल दी जायेगी तथा खाते से धनराशि का आहरण पी0एम0यू0 के निर्दिष्ट नियमों के अनुसार किया जायेगा ।

9—उक्त बैंक खाते में रखी गई धनराशि पर समय—समय पर जो ब्याज अर्जित होगा उसे त्रैमासिक आधार पर वित्त विभाग के स्टैंडिंग आदेशों के अनुसार राजकोष में जमा कर उसकी सूचना शासन को उपलब्ध कराई जाय ।

10-स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण से पूर्व उसका मदवार विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा ।

11-यदि उक्त परियोजना के तहत उपकरणों का कय किया जाना है तो डी0जी0एस0 एण्ड डी0 की दर अथवा टैण्डर/कोटेशन विषयक नियमों का अनुपालनकरते हुए किया जायेगा। यदि कोई निर्माण कार्य कराया जाना है तो उस हेतु लोक निर्माण विभाग कीदरों पर आगणन गठित कर उस पर सक्षम तकनीकी अधिकारी की संस्तुति/स्वीकृति के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।

12-व्यय की धनराशि का विवरण विश्व बैंक एवं शासन को उनके दिशा-निर्देशानुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया जायेगा ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004-05 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-23 के अधीन लेखाशीर्षक 4859-दूरसंचार तथा इलैक्ट्रानिक उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय-02-इलेक्ट्रानिक्स-00-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-97-बाहय सहायता-01-उत्तरांचल राज्य में आर्थिक सुधार परियोजना तकनीकी बाहय सहायता-42-अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा ।

3- यह स्वीकृति वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-944/वित्त अनु0-3/2005 दिनांक 29, मार्च, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

( अमरेन्द्र सिन्हा )
सचिव ।

संख्या- 16 (1)/XXXIV/2004-05-T.C. तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तरांचल,ओबेराय बिल्डिंग,माजरा, देहरादून ।
2- अपर सचिव, वित्त एवं बजट नियंत्रण, उत्तरांचल शासन ।
3- निजी सचिव, मुख्य मंत्री, उत्तरांचल शासन ।
4- वरिष्ठ वित्त अधिकारी (इरला चैक), उत्तरांचल शासन ।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून ।
6- वित्त अनुभाग-3 ।
7- निदेशक,एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून ।
8- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

( टीकम सिंह पंवार )
संयुक्त सचिव ।